No. 9105 Circle:-:Kasba

9171

Book No. :- 1 Deed No. 8862

No. 9105

Deed No 8862

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय पूर्णियाँ सदर

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **02/08/2017** को **Dileshwar Pd Singh** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमे रू0 **20000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **6050** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **8862** के रूप में पुस्तक सं0 **1** की जिल्द सं0 **143** के पृष्ठ सं0 **162** से **175** तक **CD 22** में आज निबंधित एवं कुल **14** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

जय कुमार
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक– **02/08/2017** टोकन नं. 9427 /2017

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ

9427

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पत्रांक 0078/1778 दिनांक

लेख्यकारी का नाम एवं जमीन ब्योरा उपलब्ध सिरिंज बिहार सरकार, खास महल रोक सूची में नहीं है।

प्रभारी लिपिक

विलेख, मूल्यांकन, मुद्रांक तथा शुल्क जाँचा।

प्रभारी लिपिक

स्त्रोल से मिलान किया

Ch-157

1/8 सही पाया 2/8

मुद्रांक मिलाया

प्रभारी लिपिक

दिलेश्वर प्रसाद सिंह 2/8/17

MORTGAGE DEED

District Registry Office,Purnea Sadar

Token Number 9427 | Reg. Year 2017 | Serial Number 9105 | Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring

Presented By Dileshwar Pd Singh

Sig. दिलेश्वर प्रसाद सिंह 2/8/17

Mortgager Dileshwar Pd Singh

Sig. दिलेश्वर प्रसाद सिंह 2/8/17

Mortgagee Panjab And Sindh Bank, Purnea

Sig.

Photo | Thumb | Index | Middle | Ring

Identified By Laxman Kumar Singh

Sig. लक्ष्मण कुमार सिंह 2/7/17

दिलेश्वर प्रसाद सिंह
2/8/17

25551/ .... शब्दों में (रु0 ....) मात्र

बिहार सरकार

निबंधन विभाग

(जमाकर्त्ता हेतु)

(गैर मानक)

निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान हेतु बैंक चालान (जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है)

1. जमाकार का नाम/पता .... दिलखुश प्र० सिंह ....

2. निबंधन कार्यालय : **जिला निबंधन कार्यलय, पूर्णियाँ** 3. दस्तोवज का प्रकार ....

4. बैंक का नाम एवं शाखा : **भारतीय स्टेट बैंक, पूर्णियाँ** **5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण**

क्रमांक	भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम
(क)	स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण उपमुख्य शीर्ष 02/ स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष 103 दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगान उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड R0030021030001 A/c- 33251040656	20000 योग
(ख)	निवंधन शुल्क मुख्य शीर्ष 0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्यशीर्ष 03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष 104 दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क उपशीर्ष 0001, प्राथमिक ईकाई 75, 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड R0030031040001 A/c- 33251045101	5000 योग
(ख)	भूस्वामी शुल्क मुख्य शीर्ष 0029 भू० राजस्व लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ उपशीर्ष 0006 अन्य मदें प्राथमिक ईकाई 75, 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय। विपत्र कोड R0029008000006 A/c- 33251047903	550 योग
	भुगतान का माध्यम : नगद/चेक/ड्राफ्ट **कुल योग** **कुल राशि शब्दों में**	25550

स्थान .... **तारीख** 1/8/17

***चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।**

***चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी।**

जमाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

PURNEA Br.-0159
Name-Dilip Kumar Sah
P.F.No.
01 AUG 2017
Cash/Trf./Received/Pay
Q.No. Sign

FOR USE OF THE BANK

स्क्रॉल नं0 .... **तारीख** .... **उपर्युक्त कॉलम संख्या 05 मे दिए गए विवरण के अनुसार रु०** .... **शब्दों में** .... **रुपये प्राप्त किया।**

25550

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

बैंक में संधारण हेतु **निबंधन हेतु सर्विस चार्ज* जमा करने का विवरण**

जमाकर्त्ता का नाम/पता .... दिलखुश प्र० सिंह

राशि रु० 500/- **शब्दों में** .... **स्कोर लेखा सं० : 35791490866**

जमा करने की तिथि

बैंक स्क्रौल सं० **बैंक की प्राप्ति एवं मुहर**

*(दस्तावेज के पन्नों की संख्या - 2) × 25/-

Form No. 333(Rev.-H)

स्थान

Place :____________

तिथि

Date :____________

बंधक विलेख

MORTGAGE DEED

(जिस राज्य में इसे निष्पादित किया जाना है, उसकी अपेक्षानुसार स्टांप ड्यूटी के अंतर्गत बंधक विलेख के रूप में स्टांप लगाया जाए।

(To be stamped as mortgage deed with stamp duty eligible in the State where it is executed)

यह अनुबंध पत्रा आज दिनांक .... तिथि .... को .... स्थान पर पंजाब एण्ड सिंघ बैंक, जो कि बैंकिंग कम्पनीज़ (संस्थाओं का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत सरकारी उपक्रम है एवं जिसका मुख्यालय बैंक हाऊस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है, इसकी एक शाखा .... में है,

(जिसे इसके बाद यहां "बैंक" कहा जाएगा और जिसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशी शामिल हैं) के पक्ष में

श्री/श्रीमति/कु0 * दिलेश्वर प्रसाद सिंह

पुत्रा/पुत्री/पत्नी/श्री स्व० बाबूलाल सिंह पता सिमरिया, गढ़बनैली पंचायत - धुसदाड़, पो- गढ़बनैली, थाना-कसबा (पूर्णियाँ) पिन: 854325

पुत्रा/पुत्री/पत्नी/श्री .... पता ....

....

पुत्रा/पुत्री/पत्नी/श्री .... पता ....

....

पुत्रा/पुत्री/पत्नी/श्री .... पता ....

....

पुत्रा/पुत्री/पत्नी/श्री .... पता ....

....

* यहां अलग-अलग ऋणी, सह-ऋणी/ओं के नाम भरें।

अथवा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णिया शाखा

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ

दिलेश्वर प्रसाद सिंह
2/8/17

(यदि ऋणी अलग–अलग व्यक्ति/सह ऋणी से भिन्न है, तो ऋणी को ऋणी की संरचना के अनुसार प्रशासनिक आदेश सं0 .... यहां उल्लेख किया जाए। (यहां इसके बाद संदर्भित ऋणी/ओं में उसके /उनके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, उत्तरजीवी और समनुदेशी संयुक्त रूप से और अलग – अलग रूप से शामिल होंगे।)

Letter No: 0078/2017-18 Dated 01/08/17

This indenture executed this day ____________ of ________________ in favour of Punjab & Sind Bank which is a Government Undertaking under Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1980 having its Head Office at, 'Bank House', 21 Rajendra place, New Delhi, and one of it's branch Offices at ________________ (hereinafter called "the Bank") which expression shall include its successors and assigns Sh. / Smt./Ms Dileshwar Prasad Singh son of / wife of / daughter of Late Basolal Singh of Simariya Garhbanaili Panchayat- Gudhdaur, Po- Garhbanaili Dist- Purnia PIN - 854325

(Address)

Son of / Wife of / Daughter of ______________________ of ______________________

(Address)

Son of / Wife of / Daughter of ______________________ of ______________________

(Address)

Son of / Wife of / Daughter of ______________________ of ______________________

* (here enter the name (s) of the individual Borrower / Co - owner Borrowers)

(OR)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णियाँ शाखा

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ

दिलेश्वर प्रसाद सिंह
2/8/17

If the Borrower is other than individual / Co- owners, the Borrower is to be described here in accordance with the constitution of the Borrowers as per the Administrative Instruction No. ______________ (hereinafter referred to as "the Borrower (s)" which expression shall include his / her / their executors, administrators, successors and assigns jointly and severally)

जबकि ऋणी पूर्ण और निरपेक्ष रूप से मालिक है/हैं और /अथवा अन्यथा अच्छी प्रकार से और पूर्ण रूप से यहां प्रथम अनूसूची में निर्दिष्ट भूखंड के भली–भांति और पर्याप्त रूप से हक धारक हैं, जिसमें सभी वृक्ष और उस पर बने भवन (जिसे इसके बाद यहां "भूमि" कहा जाएगा) जो निम्नलिखित को छोड़कर किसी भार, प्रभार और ग्रहणाधिकार से मुक्त है ।
(यहां पूर्व भारों, यदि कोई हो, तो आदि का उल्लेख करें, जिसमें बैंक के पक्ष में देयता भी शामिल है, यदि कोई पूर्व देयता न हो तो "शून्य" लिखा जाए)

WHEREAS the Borrower (s) is / are the absolute and exclusive owner (s) and / or is / are otherwise well and sufficiently entitled to the piece or parcel of land specified in the Schedule hereto, together with all trees and buildings thereon (Hereinafter referred to "the Land"), which is free from encumbrances, attachments, charges and liens whatsoever than the following :
(Here enter prior encumbrances, etc. including those in favour of Bank, if any, if there are no prior encumbrances, write "NIL").

तथा जबकि ऋणी/ओं के अनुरोध पर बैंक में ऋणी/ओं को अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित रूप में कुल रु. .... (रुपये .... मात्रा) का आर्थिक निभाव समय–समय पर देना मंजूर कर लिया है/देने की सहमति दे दी है :–

(1) नकदी ऋण किसी एक समय में रु. ....,(रुपये ....मात्रा) की सीमा तक

(2) ओवरड्राफ्ट किसी एक समय में रु. ....(रुपये ....मात्रा) की सीमा तक

(3) मांग ऋण किसी एक समय में रु............................. (रुपये ....मात्रा) के लिए

(4) मीयादी ऋण किसी एक समय में रु .... (रुपये ....मात्रा) का

कार्यालय जिला ...

AND WHEREAS at the request of the Borrower (s) the Bank has granted / agreed to grant from time to time to the Borrower (s) accommodation to the aggregate extent of Rs. 2300000/- (Rupees Twenty three lakh only— only), interalia, by way of :

1. Cash credits at one time upto the limit of Rs. __________ (Rupees ______________ only).

2. Overdrafts at any one time to the extent of Rs. 1500000/- (Rupees Fifteen lakh only).

3. Demand loans at any one time of Rs.______________ (Rupees ______________ only).

4. Term loans at any one time Rs. 800000/- (Rupees Eight lakh only only).

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णिया शाखा

(यहां इसके बाद उन्हें सामूहिक रूप से और अलग–अलग रूप से ''ऋण'' कहा जाएगा।) जो खेती/पशुपालन और/अथवा पक्षी पालन/मछली पालन /रेशम के कीड़े पालन पुष्प उत्पादन के प्रयोजन के लिए ऋणी/ओं द्वारा बैंक के पक्ष में भूमि के साधारण बंधक द्वारा प्रत्याभूत किया जाएगा।

hereinafter collectively or individually referred to as "the loans" for the purpose of farming / rearing of Cattle and / or flocks / fishing / sericulture / floriculture to be secured interalia by a simple mortgage of the land by the Borrower (s) in favour of the Bank. for the purpose of Business and Renovation of house.

। अब इसलिए यह अनुबंध पत्रा निम्नलिखित का साक्षी है :–

उपयुर्क्त दिये गये वचनों के फलस्वरूप ऋणी इसके द्वारा बैंक के साथ निम्नानुसार सहमत हैं.

1. ऋणी यह सुनिश्चित करेगा/करेंगे कि राजस्व रिकार्ड में एवं कंपनीज़ अधिनियम की धारा 125 (यदि ऋणी पंजीकृत लि. कंपनी है तो) के अंतर्गत रजिस्ट्रार आफ कपंनीज़ के पास बैंक के पक्ष में भार पंजीकृत हो जाए।

2. उधारकर्ता बैंक को अदा करेगा/करेंगे :–
   (क) बैंक द्वारा मांग किये जाने पर उक्त नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट/मांग ऋण के संबंध में देय राशि पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज, यदि कोई है तो, एवं विविध प्रभारों सहित भुगतान करेगा। तथापि जहां किसी कारण से नकदी ऋणी अथवा ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक द्वारा पूर्णतः अपने विवेकाधिकार से और उन शर्तों पर जो बैंक द्वारा लगायी गयी हों किस्तों में चुकाने की अनुमति दी गयी है। प्रतिभूति जो अब तक बैंक द्वारा रखी गयी है, बनी रहेगी और मीयादी ऋणों के संबंध में वे शर्तें लागू रहेंगी, जोकि उक्त ऋण के संबंध में निर्धारित की गयी हैं, साथ ही उन पर वे परिवर्तन भी लागू होंगे, जो बैंक द्वारा लगाये गये हों।

   (ख) उक्त मीयादी ऋण के अंतर्गत यहां लिखित अनुसूची II में निर्दिष्ट किस्तों के अनुसार अथवा ऋणी और बैंक के बीच पत्रों के आदान–प्रदान द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित देय राशि।

I NOW THEREFORE, THIS INDENTURE, WITNESSES as follows:

In consideration of the promises aforesaid, the Borrower (s) hereby covenant (s) with the Bank as follows :

1. The Borrower (s) shall ensure to have the charge in favour of the Bank recorded in revenue records and under section 125 of the Companies Act, 1956 (in case the Borrower (s) is / are a limited Company in the Office of Registrar of Companies.

2. The Borrower (s) shall repay to the Bank :

   (a) The amount due in respect of the said Cash Credits / Overdrafts / Demand Loans / Term Loans forthwith upon demand by the Bank together with interest / penal interest if any and other miscellaneous charges. However, in a case where for any cash credit or overdraft is permitted by the Bank at its absolute discretion to be repaid in installments and on such terms as may be stipulated by the Bank, the security as held hitherto shall continue to be subsisting and the conditions as to term loans shall apply to the said loans subject to such changes as may be stipulated by the Bank.

   (b) The amount due under the said Term Loans according to the installments specified in Schedule II hereunder written, or as modified from time to time and exchange of letters between the Borrower (s) and the Bank.

दिनेश्वर प्रसाद सिंह 2/8/17

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णिया शाखा

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ

3. यह कि ऋणी ऋणों पर निम्नलिखित ब्याज अदा करेगा जिसकी गणना ऋण खातों में दैनिक शेष पर मासिक/ तिमाही/ छमाही /वार्षिक अथवा अन्य अवधि के आधार पर जैसी कि बैंक में प्रथा हो :–

(क) नकदी ऋण पर ....% वार्षिक की दर से।

(ख) ओवरड्राफ्टों पर .... % वार्षिक दर से।

(ग) मांग ऋणों पर .... % वार्षिक की दर से।

(घ) मीयादी ऋण .... % वार्षिक की दर से।

इसमें यह प्रावधान भी होगा कि बैंक को किसी भी समय और समय–समय पर ब्याज दर परिवर्तन करने/ऋणी/ओं को ऐसे परिवर्तन से सूचित करने का अधिकार होगा तथा ब्याज की ऐसी संशोधित दर हमेशा ऋणी/ओं द्वारा अदा किये जाने की सहमति इसके द्वारा प्रत्याभूत मानी जाएगी।

इसके अतिरिक्त बैंक के दूसरे अधिकारों और उपायों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक पर ऋण खाते/तों में बकाया राशि पर अथवा ऋणी/ओं की ओर से किसी चूक अथवा अनियमितता के लिए उसके किसी अंश पर ब्याज दर को बढ़ा सकता है जिसके लिए बैंक की राय में ऐसी अवधि के लिए जिसे बैंक उचित समझता हो, ब्याज की दरों में ऐसी वृद्धि की वसूली करना अपेक्षित हो।

3. That the Borrower(s) shall pay interest on the loans to be calculated on the daily balances in the loan account(s) with monthly / quarterly / half yearly or other rests according to the practice of the Bank.

(a) Cash credits at the rate of ____________% per annum

(b) Overdrafts at the rate of _____11_____% per annum

(c) Demand loans at the rate of ____________% per annum

(d) Term loan at the rate of _____11_____% per annum

Provided that the Bank shall at any time and from time to time be entitled to change the rate of interest and notify such change to the Borrower(s) and such revised rate of interest shall always be constructed as agreed to be paid by Borrower(s) and hereby secured.

Further, without prejudice to the Bank's other rights and remedies, the Bank shall be entilted to charge at its own discretion enhanced rates of interest on the outstanding in the loan account(s) or a portion thereof for any default or irregularity on the part of the Borrower(s) which in the opinion of the Bank warrants charging of such enhanced rates of interest for such period as the Bank may deem fit.

II यह अनुबंध पत्रा इसका भी साक्षी है कि ऋणी/ओं तथा बैंक के बीच करार के अनुसरण में तथा उपयुर्क्त वचनों के परिणामस्वरूप ऋणी इसके द्वारा मंजूरी देता है/देते हैं और उक्त ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंक के प्रति साधारण बंधक के रूप में भूमि और साथ ही सभी वृक्षों और उस पर उगने वाले सभी वनस्पति और बने हुए भवन, खड़े किये गये ढांचे, फिक्सर, फिटिंग, उपकरण और मशीनें जोकि अब हैं अथवा इसके बाद किसी भी समय इस प्रतिभूति की अवधि के दौरान खड़े किये जा सकते हैं अथवा इस पर खड़े हैं अथवा इससे जुडे हैं अथवा भूमि से संलग्न हैं अथवा इसके किसी भाग से बने हैं उस पर अपने सभी अधिकार हक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णियाँ शाखा

कार्यालय जिला ... पूर्णियाँ

और हित जिसमें इसमें संबंधित अधिकार, छूट और सुविधा शामिल है, साथ ही यह पूरा परिसर अधिकार हक, हित, दावा और मांग जो भी उक्त भूमि तथा उक्त परिसर पर ऋणी/ओं के हैं, (जिसे अब इसके बाद "बंधक परिसर" कहा जाएगा।) बैंक के नाम अंतरित करता है/करते हैं।

II THIS INDENTURE FURTHER WITNESS THAT IN Pursuance of the Agreement between the Borrower(s) and the Bank in consideration of the promises aforesaid, the Borrower(s) hereby GRANT(S) and TRANSFER(S) unto the Bank by way of simple Mortgage as security for the loans all his / their right, title and interest in the Land together with all trees and other growths thereon the building, erections, structures, fixtures, fittings, equipments and machinery which now are or hereafter may at any time during the continuance of the security be erected or standing or attached to or affixed to the Land or any part thereof including all rights, liabilities and assessment in respect thereof AND all the estate, right, title, interest, claim and demand whatsoever of the Borrower (s) into and upon the Land of the said premises (hereinafter referred to as "the mortgaged premises").

III ऋणी इसके द्वारा बैंक के साथ निम्नानुसार सहमति देता है/देते हैं :–

(क) बैंक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि इनमें से किसी ऋण को बैंक के विवेकाधिकार से इतर रूप में जारी रखा जाए।

(ख) ऋणी द्वारा हर समय बंधक परिसर की सभी मदों को, जो कि बीमा योग्य स्वरूप की है, बैंक द्वारा यथा अपेक्षित आग तथा अन्य खतरों से हो सकने वाली हानि अथवा क्षतियों से बीमाकृत रखा जाए तथा वह ऐसी सभी बीमा पॉलिसियों को बैंक को सुपुर्द कर देगा। यह भी विधि–सम्मत होगा, परंतु बैंक के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, कि वह बंधक परिसर को जो कि बीमा योग्य स्वरूप का है, ऋणी/ओं के खाते/तों में नामे डालकर बीमाकृत कराये और उसे बीमाकृत रखे। इस प्रकार की बीमा से होनेवाली आय बैंक के विकल्प पर या तो दृष्टिबंधक परिसर के बदले में अथवा बैंक की निकलनेवाली देय राशियों की पूर्ति में प्रयोग की जाएगी।

(ग) ऋणी बैंक को तथा इसे कर्मचारियों और एजेंटों को या तो अकेले अथवा कामगारों के साथ तथा अन्यों को समय–समय पर एवं सभी यथोचित समयों पर ऋणी/ओं को बिना कोई सूचना दिये परंतु ऋणी/ओं के जोखिम और खर्चों पर यदि ऐसा अपेक्षित हो, तो ऋणी/ओं के एटर्नी के रूप में या उसके/उनके नाम में बंधक परिसरों में प्रवेश करने की और उसका निरीक्षण करने की अनुमति देगा/देंगे।

III The Borrower (s) hereby Convenant(s) with the Bank as follows :

(a) The Bank shall not be required to make or continue any of the loans otherwise than at the Bank's discretion.

(b) The Borrower(s) shall at all times keep such items of mortgaged premises as are of insurable nature, insured against loss or damage by fire and other risks as may be required by the Bank and shall deliver to the Bank all such policies. It shall be also lawful but not obligatory upon the Bank to insure and keep insured by debit to the Borrower(s) account(s) of the mortagaged premises as are of insurable nature. The proceeds of such insurance shall at the option of the Bank either be applied towards replacement of the mortgaged premises or towards the satisfaction of Bank's dues hereunder.

(c) The Borrower(s) shall permit the Bank and its servants and agents alone or with workmen and others from time to time and at all reasonable times and without notice to the Borrower(s) but at the risk and expenses of the Borrower(s) to enter into and upon the mortgaged premises and to inspect the same.

IV एतद्द्वारा ऋणी /ओं द्वारा निम्नानुसार सहमति दी जाती है और घोषित किया जाता है कि :-

1. इसके अंतर्गत बंधक परिसर पर सृजित की गयी जमानत के अतिरिक्त ऋणी व्यक्तिगत रूप से भी ऋणों को बैंक को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णियाँ शाखा

2. इसके द्वारा बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा अन्य आशयों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले

(i) यदि ऋणी/ओं द्वारा इन संपत्तियों की जमानत पर देय किसी धन की चुकौती में अथवा उस पर निर्धारित दर पर ब्याज की चुकौती में तथा ऊपर बताये गये अनुसार अथवा ऊपर दी गयी किसी शर्त अथवा इसमें निहित किसी प्रावधान के अनुपालन में तथा उसकी/उनकी ओर से किये जानेवाले/निभाया जानेवाले किसी कार्य में कोई चुक होती है।

(ii) यदि बैंक की राय में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, जिनके अंतर्गत अथवा ऋणी/ओं के किसी आचरण अथवा उनकी चूक के फलस्वरूप अथवा किसी अन्य कारण से जो भी हो, के कारण अथवा बैंक का हित खतरे में पड़ता है अथवा इसकी प्रतिभूति का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है/हो सकता है/कम होता है/समाप्त होता है/ क्षीण होता है, तब तथा किसी एक अथवा ऐसे अनेक मामलों में इन संपत्तियों की प्रतिभूतियों पर उस समय देय राशि बैंक की राय में तत्काल बैंक को देय हो जाएगी और बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपने किसी अधिकार अथवा उपाय का प्रयोग करते हुए अपने विवेकाधिकार के अनुसार बंधक ऋण की वसूली के लिए तथा बैंक के निर्णय के अनुसार किसी एक अथवा एक से अधिक उपर्युक्त परिसिथतियों के विद्यमान रहते हुए ऋणी/ओं पर निर्णायक और बाध्यकारी होगा। यहां इसके अंतर्गत बैंक को देय राशि बंधक परिसर की बिक्री से प्राप्त आय से पूर्णतः चुकता न होने की स्थिति में ऋणी व्यक्तिगत रूप से बैंक को देय शेष राशि की चुकौती करने का/के उत्तरदायी होगा/होंगे।

3. बंधककर्ता के रूप में ऋणी/ओं के सभी दायित्व तथा बंधकदार के रूप में बैंक के सभी अधिकार, उपाय और शक्तियां तत्समय प्रभावी विधि के अंतर्गत, सिवाय उनके जो स्पष्ट रूप से इन शर्तो से भिन्न हैं अथवा असंगत हो सकती हैं, को यह माना जाएगा कि उन्हें इन शर्तो में शमिल कर लिया गया। साथ ही अंतरण एवं परिसंपति अधिनियम, 1862 की धारा क्रमशः 61,65 क और 67 क, के प्रावधान इन शर्तों पर लागू नहीं होंगे अथवा बंधककर्ता के रूप में ऋणी/ओं पर अथवा बंधनग्राही के रूप में बैंक परस्पर तथा इन धाराओं के प्रयोजन के लिए इसके विपरीत एक संविदा माने जाएंगे।

4. ऋणी बंधक परिसर के संबंध में बैंक द्वारा किये जा सकने वाले निरीक्षण/निरीक्षणों के संबंध में सभी ऊपरी खर्चे वहन करेगा/करेंगे और अदा करेगा/करेंगे।

5. **बंधक विलेख** – यह कि ऋणी इसके द्वारा ऋणों के लिए सार्वजनिक मांग/धन के रूप में वसूल किये जाने हैं, उनकी वसूली के संबंध में किसी विधान के अनुसार, ऐसे विधान के अंतर्गत, जहां ऐसी सहमति देना आवश्यक हो, अपनी सहमति देता है।

IV IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED by the Borrower(s) as follows :

(1) In addition to the security over the mortgaged premises created hereunder the Borrower(s) shall also be personally liable to repay the loans to the Bank.

(2) Without prejudice to the other rights and recourses available to the Bank herenunder.

(i) If default shall be made by the Borrower(s) in payment of any monies for the time being owing on the security of these presents or in payment of interest in the manner aforesaid or in performance and observance of any covenant condition or provisions herein contained and on his/their part to be performed and observed.

(ii) If in the opinion of the Bank circumstances exist under which the Bank's interests are in the jeopardy, or the whole or part of its security is / are likely to be adversely affected / reduced / lost/ diminished by or in consequence of any act or omission of the Borrower(s) or for any other reason whatsoever, then and in any one or more of such cases, the money for the time being owing on the security of these presents shall at the option of the Bank

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णियाँ शाखा

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ

immediately become payable to the Bank and shall be entitled to be mortgagable debt and the decision of the Bank as to whether any one or more of the aforesaid circumstances exist shall be conclusive and binding upon the Borrower(s). In the event of the amount due to the Bank hereunder not being fully satisfied out of the sale proceeds of the mortgaged premises, the Borrower(s) shall be liable personally to repay the balance to the Bank.

(3) All the obligations of Borrower(s) as Mortgagor and all rights and remedies and power of the Bank as mortgagee under the law for the time being in force except so far as they may expressly varied or may be inconsistent with these presents shall be deemed to be incorporated in these presents PROVIDED THAT the provisios of Section 61, 65A, 67A respectively of the Transfer of Property Act, 1882 shall not apply to these or the Borrower(s) as mortgagor or the Bank as mortgagee interest and this shall be deemed a contract to the contrary for the purpose of these sections.

(4) The Borrower(s) shall bear and pay all out of pocket expenses of such inspections as may be carried out by the Bank in respect of the mortgaged premises.

(5) **Mortgage Deed :** That the Borrower hereby gives his consent for the loans being recovered as public / demand money in terms of any legislation of recoveries thereof where such consent is necessary under such legislation.

V यह कि बंधक विलेख का उद्देश्य ऋणों की ऋणग्रस्तता तथा बैंक के प्रति ऋणी/ओं की देयताओं के लिए इस बंधक की अवधि के दौरान सभी समय निरंतर प्रवृति के रूप में बनी रहेगी और परिचालित होगी। भले ही:

(क) ऋण खातों में किसी भी समय ऋण की शेष राशि शून्य हो जाए अथवा आंशिक अदायगी अथवा खातों में घट–बढ के कारण ऋण के शेष राशि की स्थिति शून्य हो जाए अथवा

(ख) बैंक द्वारा मांग किये जाने पर कोई ऋण अथवा उसका भाग अदा किया जा चुका हो अन्यथा मांग किये जाने पर तदनुसार अदा न किया गया हो।

V That this mortgage is intended to and shall operate as continuing security for all loans indebtedness and liabilities of the Borrower (s) to the Bank at all times during the subsistence of this mortgage notwithstanding -

(a) The existence of credit balance or NIL balance in the loan accounts at any time or any partial payment or fluctuation of accounts or

(b) Any loans or any part thereof have been repaid whether demand has been made by the Bank or otherwise or has not been so repaid on "demand".

VI यदि ऋणी एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो उनमें से प्रत्येक को यह अधिकार है तथा उनमें से दूसरे को यह शक्ति दी गयी है कि वह बैंक के प्रति अपनी देयता खाते में किसी प्रकार का भुगतान करके अथवा लिखित रूप में अथवपा किसी अन्य रूप में अथवा अन्यथ स्वीकार करें और पावती दें तथा उनमें से किसी एक अथवा अनेक द्वारा इस प्रकार की स्वीकृति और पावती उनमें से प्रत्येक की ओर से दी गयी स्वीकृति या पावती मानी जाएगी।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णियाँ शाखा

VI If the Borrower(s) be more than one individual each one or any of them is authorised and empowered by the others of them to admit and acknowledge their liability to the Bank by any payment into the account or by way of express writing in any manner or otherwise and as such admission and acknowledgement of the liability by one or more of them be construed to have been made on behalf of each of them.

VII यह बंधक पहले बंधकों के अतिरिक्त हैं उनकी एवज़ में नहीं, जो कि पहले ऋणी/ओं द्वारा बैंक के पक्ष में यदि कभी कोई किया गया हो।

This mortgage is in addition to and not in susbtitution of earlier mortgage, if any created by the Borrower(s) in favour of the Bank.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णियाँ शाखा

कार्यालय जिला निबंधक
पूर्णियाँ

ऊपर संदर्भित अनुसूची

THE SCHEDULE I REFERED TO ABOVE

(यहां भूमि के ब्यौरे लिखें, जिसमें भूमि में ऋणी/ओं के हित का स्वरूप/अंश उल्लेख भी शमिल हो)
(Here enter particulars of land including the nature /share of the Borrower(s) interest in Land)

जिला-Purnia.
...s - Kasba.
...s. No- 185
Mauza = Simariya.

RS Khata No	RS Khesra No	Rakwa Ac. Dec.	Boundry
5	947	0.12	N = RCC Pvt Road. Link with B.R.Road 944
5	950	0.07	S = RS. Khesra 952
			E = RCC Pvt. Road.
			W = RS Khesra 946.

Total Land = 0.19 = (Ninteen Dismil).

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूची II

THE SCHEDULE II REFERRED TO ABOVE

(यहां मीयादी ऋण की चुकौती किस्त का उल्लेख करें)
(Here enter repayment of installments of loan (s))

देय तारीख/Due Date		राशि/Amount
Feb 2018.	ODP =	1500000 = W
	TL =	800000 = W
		23,00000 = W

Twenty three lakh only

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ

रजिस्ट्रार प्रमाणित 2012 2/8/17

इस प्रपत्रा की विषयवस्तु पढ़कर सुना दी गयी है तथा ऋणी/ओं के लिए उसका अनुवाद कर दिया गया है और स्पष्ट कर दिया कर दिया गया है, तथा उसमें उन्होंने इसकी विषयवस्तु को समझ लिया है उसके लिए ऋणी इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है/हैं।

The contents of the Indenture have been read over and translated into Hindi. and explained to the Borrower(s) and he / they having understood the contents thereof subscribe(s) to these presents.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णियाँ शाखा

इसके साक्ष्य के रूप में ऋणी ने इन अनुबंध पत्रों पर आज दिनांक और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये हैं, जो नीचे दिये गये साक्ष्यांकनकर्ता गवाहों द्वारा, जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, ने उधारकर्ताओं की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये हैं।

In WITNESS WHEREOF the Borrower(s) has / have set his / their hand(s) to these presents on this the day and year first above written in the presence of each of the attesting witnesses mentioned below and each of attesting witnesses have put in their signatures in the presence of the Borrower (s)

हितेश्वर प्रसाद सिंह 2/8/17

ऋणी
Borrower(s)

साक्षी
Witnesses :

1. हस्ताक्षर
Signature लक्ष्मण कुमार सिंह
पिता - हितेश्वर प्रसाद सिंह,
नाम
Name : ग्राम - सिमलिया थाना, कसबा जिला - पूर्णियाँ
2/8/17

पता
Address :

2. हस्ताक्षर
Signature बबलू विश्वास

नाम
Name : पिता ब्रह्मदेव विश्वास

पता
Address : ग्राम सिमलिया थाना कसबा
जिला पुर्णिया
2/8/17

कार्यालय जिला विकास ... पूर्णिया

(किसी प्रकार के विधिक विवाद की स्थिति में इस प्रलेख का अंग्रेजी पाठ प्राधिकृत माना जाएगा)
"In case of legal dispute, English version of the document will be treated as authentic."

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा प्रबंधक
पूर्णिया शाखा

Endorsement of Certificate of Admissibility

... under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian ...Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '40'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

...mp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 20000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
...dl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 26050/-

...gistration Fee

FEE PAID

A1	5000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	5000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	550	500
Proc.Fee	0	
Total	550	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 6050

Date: 02/08/2017

Registering Officer
Purnea Sadar

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Purnea Sadar on Wednesday, 02nd August 2017 by Dileshwar Pd Singh Late Basolal Singh by profession Others. Status - Mortgager

दिलेश्वर प्रसाद सिंह 2/8/17

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:02/08/2017

Registering Officer
Purnea Sadar

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Laxman Kumar Singh ' age '27' Sex 'M', 'Dileshwar Pd Singh ', resident of Bishwash Tola Simariya, Ps.-Sadar, Dist.-Purnea.'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णिया

Date : 02/08/2017

Registering Officer
Purnea Sadar

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Purnea Sadar in Book 1 Volume No. 143 on pages on 162 -175, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-22 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 02/08/2017

Registering Officer
Purnea Sadar

Token No. : 9427 Year : 2017 S.No. : 9105 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 8862

Scanned by me

....
D. Op.